

पत्रावली वाले जबाब दिनांक 15.10.24 को

पत्रावली 04

15.10.24

पत्रावली वाडी अधिवक्ता के उपस्थित होकर
निवेदन करने पर सिगाह से तलब होकर पेश हुये
वाडी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर नोट प्रेष अर्जित
करते हुए प्रश्न किया कि वाडीगण उसबाड में शक
कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः बाड उसी स्तर
पर निम्तारित किया जावे।

पत्रावली ग अवलोकन किया गया। पत्रावली

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त हुई
है जो वर्तमान में जबाब प्रतिबिडीगत हेतु निमित्त है।
वाडी द्वारा शक कोई कार्यवाही नहीं चाहे जाने से
उसी स्तर पर खारिज किया जागा है। निर्णय ले-
इजलास सुनया गया।

प्रकरण फैलल मुद्दार होकर नम्बर से 3म

है।

04
(सि.स.बी.)
RIS

कादीवाली नदी
प्राप्त
Dant
5/10/2024
र 2)
st press

shuraka
15/10/2024
R/1652/2024

15/10/2024